



2026:AHC-LKO:41320

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4239 वर्ष 2026

मंगल सोनकर

.... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह

लखनऊ

.... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : सुख देव सिंह, अनीता सिंह

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रमाकर शुक्ला

न्यायालय संख्या-11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुख देव सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद मोर्य तथा परिवादी की ओर से उपस्थित हुए एवं अपना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वकालतनामा दाखिल करने वाले अधिवक्ता श्री रामाकर शुक्ला को सुना, जिसे अभिलेख पर लिया गया ।

2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 73 वर्ष 2026, धारा 105, 115(2) बी० एन० एस० के अंतर्गत, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर में पंजीकृत, में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. उपरोक्त वाद 06.03.2026 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आवेदक सहित पांच व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया यह कहते हुए कि सभी अभियुक्तगण ने सूचनादाता और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया जिसके कारण सूचनादाता, उसके पति रमेश सोनकर, पति के छोटे भाई राम कुमार और सूचनादाता के पुत्र छोटू को चोटें आईं। सूचनादाता के पति रमेश सोनकर को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के लिए संदर्भित किया गया और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। रमेश सोनकर की चोट आख्या में शीर्ष पर दोनों पार्श्विका अस्थियों तक विद्यमान एक विदीर्ण घाव और सिर के पश्चकपाल क्षेत्र पर एक विदीर्ण घाव का उल्लेख है। उनकी शवपरीक्षा परीक्षण आख्या में उनकी खोपड़ी में अस्थिभंग का उल्लेख है और मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व चोटों के कारण रक्तस्राव और आघात होना अभिमत किया गया है।

4. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की मुकदमा अपराध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 357 वर्ष 2010, धारा 363, 366-क, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर में संलिप्तता प्रकट हुई है जिसमें उसे दिनांक 07.10.2010 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया गया है।

5. दिनांक 05.03.2026 को ही आवेदक की माता शारदा देवी द्वारा पांच नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 72 वर्ष 2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें रमेश (जिसकी बाद में मृत्यु हो गई) भी शामिल था यह आरोप लगाते हुये कि तेज आवाज में संगीत बजाने के कारण पक्षकारों के मध्य कहा-सुनी हो गई। दीपक उर्फ भोलू ने गोली चलाई जिससे मंगल (आवेदक) और मोहित घायल हो गए जिसके कारण मोहित की मृत्यु हो गई और मंगल घायल हो गया तथा उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजा गया।

6. विवेचक ने स्वयं केस डायरी में अंकित किया है कि आवेदक की ओर के व्यक्तियों ने आत्मरक्षा में दूसरे पक्ष के व्यक्ति को मारपीट कर घायल किया क्योंकि दूसरे पक्ष ने गोली मारकर चोट पहुंचाई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप विवेचना के दौरान स्थापित हुए हैं और दिनांक 10.05.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

8. शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत आवेदन का विरोध किया है लेकिन वह मामले के उपरोक्त पहलुओं का खंडन नहीं कर सके।

9. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को घटना में स्वयं गोली लगने से चोट आई है और उसके भाई की उसे लगी गोली से हुई चोट के कारण मृत्यु हो गई है और विवेचक ने पाया है कि आवेदक ने आत्मरक्षा में दूसरे पक्ष के व्यक्तियों के साथ मारपीट की है साथ ही इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक दिनांक 15.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है और ऐसी कोई टिप्पणी किए बिना जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित कर सकती है, मेरा मत है कि उपरोक्त तथ्य आवेदक को उपरोक्त अपराध में जमानत पर रिहा किए जाने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. आवेदक-मंगल सोनकर को उपरोक्त वाद में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो जमानतदार और एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

17 जून 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।